

89/2012 सुकोष-पौधरी - जलवीर

दिनांक	आज्ञा पत्र
21-5-18	<p>मन्दि-गौर कावाज दिनांक 18/5/18 को एवं कम्प्लेंट के तर्कों को हाजिर नहीं करते। अतः कदम हाजरी एवं कदम परवी को द्वारा से कम्प्लेंट को जाती है। प्रजावली काद तर्कों तकनीक द्वारा दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।</p>



नू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अधिकारी  
राजस्व

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official